उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,

महानगर लखनऊ 226006

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–65/2012 दिनांकःनवम्बर 20 , 2018

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः–मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 में निर्णय दिनांक 30.10.2018 के अनुसार जनपदीय न्यायालय में प्रेषित की जाने वाली केस डायरी एवं अन्य साक्ष्यों की टाइप की गयी प्रमाणित प्रति सम्बन्धित न्यायालय में भेजे जाने हेतु निर्देशों के अनुपालन विषयक।

सन्दर्भः–समांक पत्र दिनांकित 14.11.2018

ज्ञातव्य है कि उपरोक्त विषयक सन्दर्भ के अनुक्रम में सीसीटीएनएस योजना के सफल कियान्वयन तथा और अधिक प्रभावी बनने के उद्देश्य से सीसीटीएनएस पोर्टल पर समस्त प्रकार की सूचनाओं को अद्यावधिक किया जाना चाहिए। इस परिप्रक्ष्य में पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही के संलग्न पत्र संख्या सीसीटीएनएस–निर्देश/2018 दिनांक नवम्बर 2018 द्वारा जारी निर्देश अवलोकनीय है।

2. उपरोक्त कम में इस मुख्यालय के मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 में निर्णय दिनांक 30.10.2018 के अनुसार जनपदीय न्यायालय में प्रेषित की जाने वाली केस डायरी एवं अन्य साक्ष्यों की टाइप की गयी प्रमाणित प्रति सम्बन्धित न्यायालय में भेजे जाने के निर्देश के कम में जनपद भदोही द्वारा निर्गत पत्र में अभिलिखित कार्यवाही किये गये हैं, जो सराहनीय है।

3. उपरोक्त प्रकिया का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराये जाने एवं नियमित पर्यवेक्षण करने का कष्ट करें, जिससे सीसीटीएनएस पोर्टल पर मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जा सके।

संलग्नकः–यथोपरि।

20/11

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
2. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अतिआवश्यक/अतिमहत्वपूर्ण (क्यूमेल द्वारा)

समस्त क्षेत्राधिकारी,

समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष,

समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए।

जनपद- भदोही

कृपया पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-टीएस-सीसीटीएनएस-65-2012 दिनांक नवम्बर 14, 2018, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें के पत्र संख्या: टीएस-सीसीटीएनएस-06/2010-12 दिनांक नवम्बर 14, 2018 , टीएस-सीसीटीएनएस-06/2010(XI) दिनांक जुलाई 16, 2018 एवं अन्य विभिन्न पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वन तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निर्देश दिये गये है जिनका विवरण निम्नवत है।

1- सभी विवेचक को निर्देशित करे कि प्रथम चरण में हत्या, लूट, डकैती, फिरौती हेतु अपहरण, एससी/एसटी एक्ट, दहेज हत्या एवं बलात्कार के अपराधों की केस डायरी सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत थानों के कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के अनुसंधान माड्यूल से करना सुनिश्चित करें।

2- सीसीटीएनएस पर विवेचना सम्बन्धी कार्य IIF2-IIF5 एवं केस डायरी को फीड करने में यदि विवेचकों को ट्रेनिंग का आवश्यकता है तो सम्बन्धित की सूची सीसीटीएनएस सेल को प्रेषित करें।

3- दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 156(3) के अन्तर्गत मा0 न्यायालय द्वारा संगेय मामलों के अन्वेषण करने हेतु किसी परिवाद पर संज्ञान लेते हुए, FIR दर्ज करने हेतु निर्देश दिये गये है तो शिकायत के श्रोत अप्सन से "न्यायालय " का चयन अनिवार्य रूप से करें।

4- विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम-1967 के अभियोगों की समीक्षा की गयी तो सिस्टम जनित रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम-1908/1983/1932 धारा-7 के स्थान पर थानों में विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम-1967 की धारा-7 लगा दी जा रही है। उक्त में सही धारा का चयन करें।

5- संगेय मामलों के अन्वेषण में अंतिम रिपोर्ट फार्म भरने पर मुकदमें का खात्मा या खारजी(expunge) आप्सन का चयन कर ही फार्म जमा किया जायेगा। यदि धारा ऑल्टर हुई है तो धारा ऑल्टर की कार्यवाही करके ही फार्म जमा करें।(SOP पूर्व में क्यूमेल पर भेजी जा चुकी है)

6- यदि अन्य किसी मामले में विवेचक द्वारा धारा ऑल्टर की गयी है तो जी0डी0 विवरण के अनुसार कम्प्यूटर आपरेटर उसी दिन धारा ऑल्टर की कार्यवाही करेगे।

7- प्राथमिकी दर्ज करते समय शिकायतकर्ता पीडित नही है तो पीड़ित सूचना का विवरण अनिवार्य रूप से अंकित करें, यदि शिकायताकर्ता ही पीड़ित है तो " क्या पीडित और शिकायतकर्ता एक ही है " ऑप्सन को सेलेक्ट करें।

8- ACR प्रारुप प्रत्येक माह की 01 तारीख को क्षेत्राधिकारी के निरीक्षण में तैयार करा कर सीसीटीएनएस सेल को प्रेषित करें।

9- मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारुप में प्रतिमाह सीसीटीएनएस सेल को क्यूमेल एवं हार्डकापी प्रेषित करें।

10- सीसीटीएनएस पोर्टल पर ट्रायल के दौरान वादी और गवाहों, विवेचकों के सम्बन्ध में सम्मन/वारन्ट की सूचना अंकित करना सुनिश्चित करायें, पूर्व में दिये गये निर्देशों के बाद भी कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ नही करायी गयी है।

Scanned by CamScanner

11-सीसीटीएनएस पर लापता मवेशी का पंजीकरण, विदेशी व्यक्ति का पंजीकरण सी-फार्म शत प्रतिशत अंकित किया जाय।

12-मेडिको लीगल केस अनुरोध फॉर्म (MLC) और रिपोर्ट का पंजीकरण शत प्रतिशत अंकित करें, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो सकें।

13-पूर्व में भरे गये गिरफ्तारी प्रपत्र की फोटो उपलब्ध कराये गये पैच के माध्यम में शत-प्रतिशत सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपलोड करे, वर्तमान में विना फोटों के गिरफ्तारी प्रपत्र कदापि न भरायें।

14-सीसीटीएनएस रिपोर्ट के अनुसार जनपद भदोही में माह अक्टूबर में कुल 32 निवारक कार्यवाही की गयी जिसमें से थाना औराई द्वारा सवसे ज्यादा 18 फीड किये गये है।

15-सीसीटीएनएस रिपोर्ट के अनुसार जनपद भदोही में माह अक्टूबर में कुल 56 खोयी संपत्ति का पंजीकरण किया गया जिसमें थाना ज्ञानपुर द्वारा सबसे ज्यादा 35 फीड किये गये है।

16-सीसीटीएनएस नागरिक सेवायें से प्राप्त आवेदन की प्रतिदिन समीक्षा कर समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारण करें।

17-कम्प्यूटर आपरेटर प्रतिदिन एक दिन पहले की जी0डी0 का अवलोकन करे, यदि कोई कार्यवाही जी0डी0 के अनुसार लंवित है तो तुरन्त कार्यवाही करें।

18-सभी हे0मु0 को निर्देशित करें कि FCR का मिलान कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सीसीटीएनएस रिपोर्ट से कर लेने के बाद ही जनपद स्तर पर भेजे।

19-उक्त समस्त को क्रियान्वित करने के लिए अपने-अपने सर्किल में क्षेत्राधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया जाता है।

20-जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा प्रत्येक अपराध गोष्ठी/आदेश कक्ष (O.R.) में इसकी समीक्षा की जायेगी।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने पर्यवेक्षण में उक्त समस्त विन्दुओं पर कार्यवाही करायें, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

पुलिस अधीक्षक,
भदोही।

पत्रांक- सीसीटीएनएस-निर्देश /2018 दिनांक /11/2018

प्रतिलिपि-

1. अपर पुलिस अधीक्षक भदोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त हे0मु0/का0मु0 को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक द्वारा)

Scanned by CamScanner